हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चतुर्थ सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्या: 30

मंगलवार, 11 **दिसम्बर**, 2018/20 **मार्गशीर्ष**,1940 (**शक्**)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

1. **<u>प्रश्नोत्तर</u>**

(I) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्याः 307 (स्थगित) का उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 870 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। अनुपूरक प्रश्न पूछने के दौरान संबंधित सदस्य द्वारा प्रश्न से हटकर अन्य मुद्दे उठाए जाने के कारण पैदा हुए गतिरोध पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दीः-

> *"मेरा दोनों ओर के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आगे भी माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हैं। कृपया प्रश्नों को प्रश्नों की तरह पूछें और उसी के अनुरूप उत्तर आएं। अभी अगले प्रश्नों पर भी चर्चा होनी है। इसलिए दूसरे सदस्य कृपया बीच में न बोलें, ऐसा करने से माहौल ठीक नहीं रहेगा।"*

माननीय मुख्यमंत्री ने भी हस्तक्षेप करते हुए प्रश्नकाल के दौरान मूल प्रश्न के विषय से हटकर अन्य मुद्दे उठाए जाने के रवैये को अनुचित बताया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 871, 872 व 873 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 873 के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा यह कहने के बावजूद कि 'सूचना एकत्रित की जा रही है', श्री होशयार सिंह द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दीः-

"माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के पास अभी सूचना उपलब्ध नहीं है और प्रश्न का उत्तर अगले सत्र तक आएगा, तभी वह सदन में प्रश्न का उत्तर देंगे। जब अभी मूल प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया गया है तो इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

तारांकित प्रश्न संख्याः 874 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 875 से 933 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 194 से 209 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, कनिष्ठ कैमरामैन, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब ए(3)-60/99 दिनांक 22.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.09.2018 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं), वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन)

नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःकार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014 दिनांक 06.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.09.2018 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं), वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014 दिनांक 06.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.09.2018 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5, दिसम्बर, 2018।

श्री बिक्रम सिंह, माननीय उद्योग मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम(SFCs Act, 1951) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना सप्तम कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई

विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का सप्तम् प्रतिवेदन जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का अष्टम् प्रतिवेदन जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कर्नल इन्द्र सिंह ने नियम-62 के अंतर्गत सीर खड्ड के तटीयकरण (बरच्छवाड़ से जाहु) का कार्य न होने के कारण विशेषकर बरसात में किसानों की फसलों व खेतों को होने वाले नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री जगत सिंह नेगी ने नियम-130 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलान्यास व उद्घाटन के अधिकार विधायकों को देने की नीति पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री राकेश सिंघा
2. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
4. श्री बिक्रम सिंह ठाकुर, माननीय उद्योग मंत्री

5. श्रीमती आशा कुमारी
6. श्री सुख राम
7. डॉ0 कर्नल धनी राम शांडिल
8. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, माननीय वन मंत्री
9. श्री नन्द लाल
10. श्री रमेश चंद ध्वाला
11. श्री विनोद कुमार
12. श्री राजेन्द्र राणा
13. श्री सुरेश कश्यप
14. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर द्वारा अपनी चर्चा के दौरान विषयांतर होने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य सुविधा समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को इस प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा में न लाया जाए।

15. श्री राकेश जम्वाल

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, श्री लखविन्द्र सिंह राणा, श्री बलबीर सिंह, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री हीरा लाल व श्री आशीष बुटेल माननीय सदस्यों को भी इस चर्चा में सम्मिलित हुआ समझा गया।

माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(03.57 **बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार**, **दिनांक** 12 **दिसम्बर**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)